न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिवीजन संख्याः 02/2022

दायर दिनांकः 07.03.2022

निर्णय दिनांक 23.01.2026

—: अनवान :—

1. बाबुलाल पिता वेणीरामजी जोशी जाति ब्राहम्ण निवासी उथनोल, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द

— निगराकार/प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत उथनोल जरिये सचिव, पंचायत समिति खमनोर, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द
2. गोपीलाल पिता दौलतरामजी जाति जोशी ब्राम्हण निवासी उथनोल, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द

— गैर निगराकारगण

निगरानी बाबत् पट्टा नम्बर 269 दिनांक 02.01.1990 दौलतराम जोशी के पक्ष में जारी पट्टा को निरस्त करनें बाबत।

उपस्थितः—

1— श्री अतुल पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2— अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 01 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)
3— श्री गजेन्द्र सिंह राव अधिवक्ता अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 02

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार द्वारा निगरानी पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 269 दिनांक 02.01.1990 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 2 गोपीलाल के दत्तक पिता दौलतराम पिता लखमीचन्दजी जोशी निवासी उथनोल के पक्ष में जारी तथाकथित जारी पट्टा जो प्रारम्भ से हीं शुन्य होकर के अवैध हैं, गोपीलाल पिता घासीराम दत्तक पिता दौलतराम द्वारा एक स्थायी निषेधाज्ञा का वाद सिविल न्यायालय नाथद्वारा में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गांव उथनोल अन्दर हल्का आबादी में स्थित भूखण्ड खण्डित मकान जिसकी लम्बाई उत्तर से दक्षिण 45 फीट एवं चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 30 फीट कुलिया क्षेत्रफल

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

1300 वर्गफीट जिसके पड़ौस पूर्व दिशा में आम रास्ता, पश्चिम में जीवराजजी पिता जोधराज का मकान, उत्तर में तुलसीराम पिता भगवानलाल का मकान एवं दक्षिण में आम रास्ता स्थित हैं। इन चारो पड़ोसियों के मध्य तथाकथित पट्टे वाली जायदाद स्थित हैं। विपक्षी गोपीलाल द्वारा यह भी वर्णित किया गया कि उक्त भूखण्ड पर पिता के समय झौपड़ा बना हुआ हैं, साथ हीं यह भी वर्णित किया कि विपक्षी वादग्रस्त जायदाद से करीब आधा किलोमीटर दुर डांग नाम की जगह पर रहता हैं। बाबुलाल द्वारा उक्त भूखण्ड पर जबरन निर्माण करवानें के लिये युद्धस्तर पर कार्य करवा रहा हैं। ऐसे में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया हैं। विपक्षी के द्वारा उक्त वाद के साथ तथाकथित पट्टा पेश किया गया हैं, जो पुरी तरह से फर्जी व अवैध हैं, जिसे निरस्त किया जाना विधिक रूप से आवश्यक हैं।वादग्रस्त जायदाद की वास्तविकता एवं सत्यता अलग हैं। विपक्षी गोपीलाल के द्वारा भूखण्ड का नाप 45X30 फीट होना बताया हैं जबकि वादग्रस्त जगह का नाप पूर्व दिशा में 48 फीट, पश्चिम दिशा का नाप 32 फीट, उत्तर दिशा का नाप 88 फीट और दक्षिण दिशा का नाप 88 फीट, इसी प्रकार पश्चिम दिशा का पड़ोस जीवराजजी का नहीं होकर के नानालालजी का पुराना मकान हैं एवं उत्तर दिशा का पड़ोस तुलसीराम का न होकर के भंवर जी पुरोहित का मकान हैं। वादग्रस्त भूखण्ड के पड़ोस एवं नाप की वास्तविकता से यह पता चलता हैं कि विपक्षी गोपीलाल के द्वारा प्रार्थी बाबुलाल को ब्लेकमेल करनें व परेशान करनें या किसी अन्य उद्देश्य के लिये पुराना फर्जी पट्टा तैयार किया गया प्रतीत होता हैं। प्रार्थी/निगराकार के द्वारा तथाकथित पट्टा दिनांक 02.01.1990 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं जानकारी प्राप्त करनें के लिये ग्राम पंचायत विपक्षी संख्या एक के कार्यालय में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि गोपीलाल के दत्तक पिता दौलतराम पिता लखमीचन्द जोशी निवासी उथनोल को दिनांक 02.01.1990 को पंचायत द्वारा जारी पट्टे की प्रोसिडींग एवं पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करनें के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया, इस पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी/निगराकार को इस आशय की जानकारी दी कि ग्राम पंचायत उथनोल में दौलतराम पिता लखमीचन्दजी के नाम से दिनांक 02.01.1990 को पट्टा जारी हो ऐसी पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं हैं, न हीं पट्टे की प्रति उपलब्ध हैं, न हीं मिसल उपलब्ध हैं। यानि कि ग्राम पंचायत में 02.01.1990 को दौलतरामजी जोशी के नाम से पट्टा जारी हुआ हो ऐसी अंशमात्र भी जानकारी दस्तावेज पंचायत में नहीं हैं। कि विधि का सुस्पष्ट सिद्धान्त हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी नियम के तहत सह शुल्क, निशुल्क, निलामी पुराने मकान आदि किसी प्रकार का पट्टा जारी किया जाता हैं तो उसका अनुमोदन ग्राम पंचायत के कोरम किया जाना आवश्यक हैं। प्रत्येक कोरम, ग्राम सभा में उठाये जाने वाले विषय निर्णित किये जाने वाले विषय सभी प्रकार का उल्लेख बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिखा जाता हैं लेकिन उक्त तथाकथित पट्टे के संबंध में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं हैं। इससे स्पष्ट हैं कि उक्त पट्टा फर्जी हैं एवं विपक्षी संख्या दो द्वारा मिलीभगत कर फर्जी रूप से तैयार किया गया। ऐसे में असल पट्टा जो विपक्षी के पास हैं उसे तलब किया जाकर निरस्त किया

जानें का अंकन किया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थी के समक्ष मुख्य प्रश्न यह हैं कि ग्राम पंचायत नें उक्त पट्टे के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही करनें से स्पष्ट रूप से मना कर दिया, वहीं सिविल न्यायालय में इस प्रश्न को उठाया तो यह कहा गया कि यदि पट्टा फर्जी हैं, गलत हैं तो उसे सक्षम न्यायालय से निरस्त कराया जाय। वहीं पुलिस में आवेदन करनें पर वहां से भी यहीं कहा गया कि पट्टा फर्जी हैं, गलत हैं, अवैध हैं तो नियमानुसार कार्यवाही करे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार से प्रार्थी पिछले काफी समय से उक्त तथाकथित पट्टे के विरूद्ध कार्यवाही कर रहा हैं परन्तु प्रार्थी को न्याय प्राप्त नहीं हुआ। चूंकि ग्राम पंचायत में पट्टे के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज न होने पर प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की जा सकी। जब प्रार्थी को पट्टे की प्रति विपक्षी से प्राप्त हुई, बिना किसी देरी के उक्त पट्टे की फोटोप्रति के आधार पर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की जा रही हैं।उक्त तथाकथित असल पट्टा विपक्षी गोपीलाल के पास हैं एवं गोपीलाल उक्त पट्टे के आधार पर अपना हक क्लेम कर रहा हैं। वहीं ग्राम पंचायत के आवासीय क्षेत्र में जारी होने वाले तमाम पट्टे पंचायत द्वारा जारी किये जाते हैं। तथाकथित पट्टे पर पंचायत की मोहर हैं, सरपंच के हस्ताक्षर हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत को उक्त याचिका में विपक्षी बनाया गया हैं ताकी ग्राम पंचायत अपना पक्ष विधि अनुसार रख सके। वादग्रस्त जायदाद प्रार्थी/निगराकार की पैतृक सम्पत्ति हैं जो प्रार्थी को विरासत से प्राप्त हुई हैं। प्रार्थी ने अपने पैतृक मकान का पट्टा नियमानुसार ग्राम पंचायत से बनवाया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 13.12.2010 को प्रार्थी के पक्ष में नियमानुसार पट्टा संख्या 2006 जारी किया हैं। ऐसे में वादग्रस्त जमीन का पट्टा विपक्षी द्वारा अपना होना बताया जा रहा हैं वह सरासर गलत हैं। तथाकथित पट्टा दिनांक 02.01.1990 को जारी होना बताया जा रहा हैं लेकिन प्रार्थी को इसकी जानकारी गत पेशी 08.12.2021 को होनें एवं प्रार्थी को पट्टे की प्रति प्राप्त होने से यानि की जानकारी होने से निगरानी प्रस्तुत की जा रही हैं जो अन्दर मयाद हैं। ऐसे में देरी की मयाद को कण्डोन किया जाना आवश्यक हैं। विधि का सुस्पष्ट सिद्धान्त हैं कि जहां मेरिट पर प्रकरण मजबुत व अच्छा हो वहां पर मयाद को कण्डोन किया जाना आवश्यक हैं। उक्त प्रकरण में भी तथाकथित फर्जी पट्टा प्रारम्भसे हीं शुन्य व अवैध हैं। ऐसे में पट्टा जारी होनें की दिनांक से जानकारी होनें की अवधी को कण्डोन किया जाय ताकी प्रार्थी /निगराकार के साथ न्याय हो सके। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थी/निगराकार के द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या 2 के दत्तक पिता दौलतराम पिता लखमीचन्दजी के नाम 0269 से जारी पट्टा दिनांक 02.01.1990, पट्टा संख्या को सव्यय निरस्त फरमाया जाए। चूंकि ग्राम पंचायत में उक्त पट्टे की मिसल न होने से, विपक्षी से असल पट्टा तलब किया जाकर निरस्त किये जानें का अंकन किया जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 को बावजूद सूचना लगातार नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से उनके

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

विरूद्ध दिनांक 16.01.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह राव ने वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी।

गैर निगराकार संख्या 2 के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा दौलतराम पिता लक्ष्मीचन्द जी जोशी के पक्ष में पट्टा जारी किया जाना सही है किन्तु उक्त पट्टा विधिवत् रूप से ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार एवं नियमानुसार के आधार पर जारी किया गया है जो किसी प्रकार से अवैध एवं शुन्य नहीं है विपक्षी गोपीलाल के द्वारा वरिष्ठ सिविल न्यायालय नाथद्वारा में प्रार्थी बाबुलाल के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जाना सही है जो दिनांक 01/11/2013 को पेश किया गया जिसके मुकदमा नम्बर 32/14 ई.दी. होकर साक्ष्य प्रतिवादी में नियत है जिसमें बाबुलाल द्वारा दिनांक 12/02/2014 को जवाब दावा पेश किया गया तब से ही प्रार्थी को इस बात की जानकारी हो गई थी। जैसा की प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया गया है कि उक्त वाद पत्र के साथ तथाकथित पट्टा पेश किया गया। उक्त पट्टा सही है तथा अब जानकारी होने के करीब 10 वर्ष बाद यह निगरानी याचिका पेश की गई है जो मयाद बाहर है जिसे प्रार्थी को अब इस आधार पर निरस्त कराने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने सभी तथ्य झुठे एवं मनगढत आधारों पर उल्लेखित किये है। विपक्षी गोपीलाल द्वारा प्रार्थी को किसी प्रकार से कोई ब्लेकमेल नहीं किया गया। बाबुलाल द्वारा गोपीलाल के पुश्तैनी भुखण्ड जो कि पट्टेशुदा होकर उसका स्वामी दौलतराम एवं उसके बाद गोपीलाल होने से वहीं उसका उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है जिससे गोपीलाल को परेशान करने के उद्देश्य से यह फर्जी एवं झुठी निगरानी याचिका पेश की है। प्रार्थी के द्वारा केवल ग्राम पंचायत से उक्त पट्टे के सम्बन्ध में पत्रावली की प्रतिलिपि पेश करने या ग्राम पंचायत के द्वारा पत्रावली की नकल उपलब्ध नहीं कराने से ही मात्र किसी प्रकार कोई पट्टा फर्जी या अवैध नहीं हो सकता। ग्राम पंचायत ने यह प्रमाण पत्र जारी नहीं किया कि उक्त दौलतराम पिता लक्ष्मीचन्द्र जी को किसी प्रकार का कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। केवल मात्र इसी आधार पर बाबुलाल को यह निगरानी पेश करने का अधिकार नहीं है कि पंचायत ने इसके सम्बन्ध में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया। असल पट्टा न्यायालय नाथद्वारा में पेश कर रखा है। प्रार्थी ने इससे पूर्व कभी कोई कहीं पर उक्त पट्टे के फर्जी होने के सम्बन्ध में कोई आवेदन नहीं किया, न ही ऐसा कोई आवेदन की कॉपी पेश की गई है। दोनों पक्षकारों के मध्य उक्त भुखण्ड को लेकर करीब 10 वर्ष से सिविल प्रकरण विचाराधीन है तथा प्रार्थी को भी इस पट्टे की जानकारी 10 वर्ष पूर्व से है। अब केवल मात्र विपक्षी को परेशान करने मात्र के आशय से यह आवेदन किया और बताया कि प्रार्थी को उक्त पट्टे की फोटोप्रति विपक्षी से प्राप्त हुई जबकि उक्त पट्टा वाद पत्र के साथ पेश है तभी उसकी फोटोप्रति प्रार्थी को दे दी गई जिसे करीब 10 वर्ष हो गये है और बाबुलाल के द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत जवाबदावे में उपरोक्त प्रकार से उक्त दौलतराम जी के पक्ष में

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

जारी पट्टे को चुनौती नहीं दी गई और न किसी प्रकार से फर्जी बताया गया। उपरोक्त पट्टा गोपीलाल द्वारा वरिष्ठ सिविल न्यायालय नाथद्वारा के मुकदमा नम्बर 32/14 ई.दी. में पेश कर रखा है जिसकी जानकारी प्रार्थी बाबुलाल को है फिर भी झुठे आधारों पर यह निगरानी पेश की गई है तथा ग्राम पंचायत को भी अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है। उक्त सम्पत्ति प्रार्थी की पैतृक हो बल्कि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में बाबुलाल के द्वारा भी वरिष्ठ सिविल न्यायालय नाथद्वारा में विपक्षी के विरूद्ध सिविल वाद पेश कर रखा है जिसके मुकदमा नम्बर 50/15 ई.दी. है जो वर्तमान में विचाराधीन है और उस सिविल वाद में भी प्रार्थी के अधिवक्ता उक्त निगरानी में नियुक्त अधिवक्ता ही है। जिन्हें भी इस बात की पुरी जानकारी है एवं प्रार्थी के पक्ष में किसी प्रकार से ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 2006 जारी नहीं किया गया है प्रार्थी के द्वारा यह अभिकथन करना कि सन 2010 में जो पट्टा जारी किया गया वह सभी प्रकार से जांच कर जारी किया गया जबकि दौलतराम पिता लक्ष्मीचन्द्र जी को भी उसी ग्राम पचांयत उथनोल के द्वारा प्टटा जारी किया गया जो दिनांक 02/01/1990 को जारी किया जो 20 वर्ष पुर्व जारी किया गया। इससे यह नहीं कहां जा सकता है कि 1990 वाला पट्टा फर्जी है जिससे इसको निरस्त किया जा सकता हो अर्थात दौलतराम जी के नाम जारी पट्टे में ऐसी क्या विधिक कमियां है या वह किस प्रकार से विधि विरूद्ध जारी किया गया अथवा किस प्रकार से किसी नियम का उल्लंघन किया गया या क्या उस समय ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं था केवल मात्र रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना बताकर इसके आधार पर कानुन में पट्टा निरस्तीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। प्रार्थी ने स्वयं इसी प्रार्थना पत्र में विरोधाभासी अभिकथन किये है जैसा कि एक तरफ उक्त पट्टे के सम्बन्ध में दिनांक 08/12/2021 को जानकारी होना बता रहे है। दुसरी तरफ वरिष्ठ सिविल न्यायालय में उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में बाबुलाल द्वारा जो वाद दिनांक 27/03/2014 को विपक्षी गोपीलाल के विरूद्ध पेश किया उसका जो जवाब दावा गोपीलाल के द्वारा दिनांक 14/05/2014 को दिया उस जवाब दावे की कलम संख्या 13 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि दिनांक 02/01/1990 को ग्राम पंचायत के द्वारा दौलतराम जी और उसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया तथा गोपीलाल द्वारा प्रस्तुत सिविल वाद की कलम संख्या 3 में भी यह बताया गया कि दौलतराम जी के नाम ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया। ऐसे में अब दिनांक 08/12/2021 को इसकी जानकारी होना बताया जिससे कि इस प्रार्थना पत्र को समयावधि में पेश करना बताया जा सके जिससे भी उक्त निगरानी याचिका खारिज होने योग्य है। उक्त पट्टे के जारी होने की जानकारी के सम्बन्ध में करीब 10 वर्ष हो जाने के बाद भी न्यायालय में झुठे कथन कर अब इसकी जानकारी होना बताया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी विपक्षी पर दबाव बनाने के उदेश्य से परेशान करना चाहता है जिससे अब 10 वर्ष की अवधि को अब कण्डोन नहीं किया जा सकता है जबकि इसके लिये अलग से धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश करना होता है। अतः

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

श्रीमान् से सादर निवेदन है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र निगरानी याचिका खारिज फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता की उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र धारा 5 व मूल निगरानी याचिका पर बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 2 गोपीलाल के दत्तक पिता दौलतराम पिता लखमीचन्दजी जोशी निवासी उथनोल के पक्ष में जारी तथाकथित जारी पट्टा जो प्रारम्भ से ही शुन्य होकर के अवैध हैं, गोपीलाल पिता घासीराम दत्तक पिता दौलतराम द्वारा एक स्थायी निषेधाज्ञा का वाद सिविल न्यायालय नाथद्वारा में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गांव उथनोल अन्दर हल्का आबादी में स्थित भूखण्ड खण्डित मकान जिसकी लम्बाई उत्तर से दक्षिण 45 फीट एवं चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 30 फीट कुलिया क्षेत्रफल 1300 वर्गफीट जिसके पड़ौस पूर्व दिशा में आम रास्ता, पश्चिम में जीवराजजी पिता जोधराज का मकान, उत्तर में तुलसीराम पिता भगवानलाल का मकान एवं दक्षिण में आम रास्ता स्थित हैं। इन चारो पड़ोसियों के मध्य तथाकथित पट्टे वाली जायदाद स्थित हैं। विपक्षी गोपीलाल द्वारा यह भी वर्णित किया गया कि उक्त भूखण्ड पर पिता के समय झौपड़ा बना हुआ हैं, साथ हीं यह भी वर्णित किया कि विपक्षी वादग्रस्त जायदाद से करीब आधा किलोमीटर दुर डांग नाम की जगह पर रहता हैं। बाबुलाल द्वारा उक्त भूखण्ड पर जबरन निर्माण करवाने के लिये युद्धस्तर पर कार्य करवा रहा हैं। ऐसे में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया हैं। विपक्षी के द्वारा उक्त वाद के साथ तथाकथित पट्टा पेश किया गया हैं, जो पुरी तरह से फर्जी व अवैध हैं, वादग्रस्त जायदाद की वास्तविकता एवं सत्यता अलग हैं। विपक्षी गोपीलाल के द्वारा भूखण्ड का नाप 45X30 फीट होना बताया हैं जबकि वादग्रस्त जगह का नाप पूर्व दिशा में 48 फीट, पश्चिम दिशा का नाप 32 फीट, उत्तर दिशा का नाप 88 फीट और दक्षिण दिशा का नाप 88 फीट, इसी प्रकार पश्चिम दिशा का पड़ोस जीवराजजी का नहीं होकर के नानालालजी का पुराना मकान हैं एवं उत्तर दिशा का पड़ोस तुलसीराम का न होकर के भंवर जी पुरोहित का मकान हैं। वादग्रस्त भूखण्ड के पड़ोस एवं नाप की वास्तविकता से यह पता चलता हैं कि विपक्षी गोपीलाल के द्वारा प्रार्थी बाबुलाल को ब्लेकमेल करनें व परेशान करने या किसी अन्य उद्देश्य के लिये पुराना फर्जी पट्टा तैयार किया गया प्रतीत होता हैं। प्रार्थी/निगराकार के द्वारा तथाकथित पट्टा दिनांक 02.01.1990 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं जानकारी प्राप्त करनें के लिये ग्राम पंचायत विपक्षी संख्या एक के कार्यालय में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि गोपीलाल के दत्तक पिता दौलतराम पिता लखमीचन्द जोशी निवासी उथनोल को दिनांक 02.01.1990 को पंचायत द्वारा जारी पट्टे की प्रोसिडींग एवं पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करनें के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया, इस पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी/निगराकार को इस आशय की जानकारी दी कि ग्राम पंचायत उथनोल में दौलतराम पिता लखमीचन्दजी के नाम से दिनांक 02.01.1990 को

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पट्टा जारी हो ऐसी पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं हैं, न हीं पट्टे की प्रति उपलब्ध हैं, न हीं मिसल उपलब्ध हैं। यानि कि ग्राम पंचायत में 02.01.1990 को दौलतरामजी जोशी के नाम से पट्टा जारी हुआ हो ऐसी अंशमात्र भी जानकारी दस्तावेज पंचायत में नहीं हैं। कि विधि का सुस्पष्ट सिद्धान्त हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी नियम के तहत सह शुल्क, निशुल्क, निलामी पुराने मकान आदि किसी प्रकार का पट्टा जारी किया जाता है तो उसका अनुमोदन ग्राम पंचायत के कोरम किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक कोरम, ग्राम सभा में उठाये जाने वाले विषय निर्णित किये जाने वाले विषय सभी प्रकार का उल्लेख बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिखा जाता हैं लेकिन उक्त तथाकथित पट्टे के संबंध में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। इससे स्पष्ट हैं कि उक्त पट्टा फर्जी हैं एवं विपक्षी संख्या दो द्वारा मिलीभगत कर फर्जी रूप से तैयार किया गया। तथाकथित पट्टे पर पंचायत की मोहर हैं, सरपंच के हस्ताक्षर हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत को उक्त याचिका में विपक्षी बनाया गया हैं ताकि ग्राम पंचायत अपना पक्ष विधि अनुसार रख सके। वादग्रस्त जायदाद प्रार्थी/निगराकार की पैतृक सम्पत्ति है जो प्रार्थी को विरासत से प्राप्त हुई हैं। प्रार्थी ने अपने पैतृक मकान का पट्टा नियमानुसार ग्राम पंचायत से बनवाया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 13.12.2010 को प्रार्थी के पक्ष में नियमानुसार पट्टा संख्या 2006 जारी किया हैं। ऐसे में वादग्रस्त जमीन का पट्टा विपक्षी द्वारा अपना होना बताया जा रहा हैं वह सरासर गलत हैं। तथाकथित पट्टा दिनांक 02.01.1990 को जारी होना बताया जा रहा हैं लेकिन प्रार्थी को इसकी जानकारी गत पेशी 08.12.2021 को होने एवं प्रार्थी को पट्टे की प्रति प्राप्त होने से यानि की जानकारी होने से निगरानी प्रस्तुत की जा रही हैं जो अन्दर मयाद हैं। ऐसे में देरी की मयाद को कण्डोन किया जाना आवश्यक हैं। विधि का सुस्पष्ट सिद्धान्त हैं कि जहां मेरिट पर प्रकरण मजबुत व अच्छा हो वहां पर मयाद को कण्डोन किया जाना आवश्यक हैं। उक्त प्रकरण में भी तथाकथित फर्जी पट्टा प्रारम्भ से ही शुन्य व अवैध हैं। ऐसे में पट्टा जारी होनें की दिनांक से जानकारी होने की अवधि को कण्डोन किया जाये ताकि प्रार्थी /निगराकार के साथ न्याय हो सके। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थी/निगराकार के द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या 2 के दत्तक पिता दौलतराम पिता लखमीचन्दजी के नाम 0269 से जारी पट्टा दिनांक 02.01.1990, पट्टा संख्या को सव्यय निरस्त फरमाया जाए।

अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 02 ने जवाब वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह कथन किया कि विपक्षी गोपीलाल के द्वारा वरिष्ठ सिविल न्यायालय नाथद्वारा में प्रार्थी बाबुलाल के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जाना सही है जो दिनांक 01/11/2013 को पेश किया गया जिसके मुकदमा नम्बर 32/14 ई.दी. होकर साक्ष्य प्रतिवादी में नियत है जिसमें बाबुलाल द्वारा दिनांक 12/02/2014 को जवाब दावा पेश किया गया तब से ही प्रार्थी को इस बात की जानकारी हो गई थी। जैसा की प्रार्थना पत्र की इस कलम में उल्लेखित किया गया है कि उक्त वाद पत्र के साथ तथाकथित पट्टा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पेश किया गया। उक्त पट्टा सही है तथा अब जानकारी होने के करीब 10 वर्ष बाद यह निगरानी याचिका पेश की गई है जो मयाद बाहर है जिसे प्रार्थी को अब इस आधार पर निरस्त कराने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने सभी तथ्य झुठे एवं मनगढत आधारों पर उल्लेखित किये है। विपक्षी गोपीलाल द्वारा प्रार्थी को किसी प्रकार से कोई ब्लेकमेल नहीं किया गया। बाबुलाल द्वारा गोपीलाल के पुश्तैनी भूखण्ड जो कि पट्टेशुदा होकर उसका स्वामी दौलतराम एवं उसके बाद गोपीलाल होने से वहीं उसका उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है जिससे गोपीलाल को परेशान करने के उद्देश्य से यह फर्जी एवं झुठी निगरानी याचिका पेश की है। प्रार्थी के द्वारा केवल ग्राम पंचायत से उक्त पट्टे के सम्बन्ध में पत्रावली की प्रतिलिपि पेश करने या ग्राम पंचायत के द्वारा पत्रावली की नकल उपलब्ध नहीं कराने से ही मात्र किसी प्रकार कोई पट्टा फर्जी या अवैध नहीं हो सकता। ग्राम पंचायत ने यह प्रमाण पत्र जारी नहीं किया कि उक्त दौलतराम पिता लक्ष्मीचन्द्र जी को किसी प्रकार का कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। केवल मात्र इसी आधार पर बाबुलाल को यह निगरानी पेश करने का अधिकार नहीं है कि पंचायत ने इसके सम्बन्ध में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया। असल पट्टा वरिष्ठ सिविल न्यायालय नाथद्वारा नाथद्वारा में पेश कर रखा है। प्रार्थी ने इससे पूर्व कभी कोई कहीं पर उक्त पट्टे के फर्जी होने के सम्बन्ध में कोई आवेदन नहीं किया गया न ही ऐसा कोई आवेदन की कॉपी पेश की गई है। दोनों पक्षकारों के मध्य उक्त भूखण्ड को लेकर करीब 10 वर्ष से सिविल प्रकरण विचाराधीन है तथा प्रार्थी को भी इस पट्टे की जानकारी 10 वर्ष पूर्व से है। अब केवल मात्र विपक्षी को परेशान करने मात्र के आशय से यह आवेदन किया और बताया कि प्रार्थी को उक्त पट्टे की फोटोप्रति विपक्षी से प्राप्त हुई जबकि उक्त पट्टा वाद पत्र के साथ पेश है तभी उसकी फोटोप्रति प्रार्थी को दे दी गई जिसे करीब 10 वर्ष हो गये है और बाबुलाल के द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत जवाब दावे में उपरोक्त प्रकार से उक्त दौलतराम जी के पक्ष में जारी पट्टे को चुनौती नहीं दी गई और न किसी प्रकार से फर्जी बताया गया। उपरोक्त पट्टा गोपीलाल द्वारा वरिष्ठ सिविल न्यायालय नाथद्वारा के मुकदमा नम्बर 32/14 ई.दी. में पेश कर रखा है जिसकी जानकारी प्रार्थी बाबुलाल को है ग्राम पंचायत को भी अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है। उक्त सम्पत्ति प्रार्थी की पैतृक हो बल्कि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में बाबुलाल के द्वारा भी वरिष्ठ सिविल न्यायालय नाथद्वारा में विपक्षी के विरूद्ध सिविल वाद पेश कर रखा है जिसके मुकदमा नम्बर 50/15 ई.दी. है जो वर्तमान में विचाराधीन है और उस सिविल वाद में भी प्रार्थी के अधिवक्ता उक्त निगरानी में नियुक्त अधिवक्ता ही है। जिन्हें भी इस बात की पुरी जानकारी है एवं प्रार्थी के पक्ष में किसी प्रकार से ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 2006 जारी नहीं किया गया है प्रार्थी के द्वारा यह अभिकथन करना कि सन 2010 में जो पट्टा जारी किया गया वह सभी प्रकार से जांच कर जारी किया गया जबकि दौलतराम पिता लक्ष्मीचन्द्र जी को भी उसी ग्राम पचांयत उथनोल के द्वारा पट्टा जारी किया गया जो दिनांक 02/01/1990 को जारी किया जो 20 वर्ष पूर्व में जारी किया गया। इससे यह

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

नहीं कहा जा सकता है कि 1990 वाला पट्टा फर्जी है जिससे इसको निरस्त किया जा सकता हो। प्रार्थी विपक्षी पर दबाव बनाने के उदेश्य से परेशान करना चाहता है जिससे अब 10 वर्ष की अवधि को अब कण्डोन नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र निगरानी याचिका खारिज फरमाया जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष के धारा 5 के प्रार्थना पत्र व मूल निगरानी की बहस पर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 जिसके पक्ष में जारी पट्टा निरस्त कराने हेतु यह निगरानी याचिका प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी है। इस संबंध में श्री गोपीलाल ने एक स्थायी निषेधाज्ञा बाबत वाद माननीय सिविल न्यायाधीय नाथद्वारा में वर्ष 2014 में प्रस्तुत किया था तथा उसके साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में श्री गोपीलाल द्वारा अंकित किया गया था कि यह विवादित भूखण्ड जो कि वादी के पिता दौलतरामजी को ग्राम पंचायत उथनोल ने दिनांक 02.01.1990 को आवंटित किया गया था और उसके पिता का स्वर्गवास सन् 1999 में हो गया था तब से वह उसका स्वामी चले आ रहा है। और सन् 2013 में वादी के भूखण्ड पर नाजायज कब्जा करने की नियत से श्री बाबुलाल जो इस प्रकरण में निगरानीकर्ता है, द्वारा इस भूखण्ड पर नीवें खुदवाकर निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया गया है और उसके पिताजी अस्वस्थ रहने के कारण इस भूखण्ड पर मकान निर्माण नहीं करा पाना भी श्री गोपीलाल द्वारा अंकन किया गया है और यह वाद जो गोपीलाल द्वारा प्रस्तुत किया गया था उस वाद के जवाब में यह अंकित किया गया था कि उक्त भूखण्ड का दिनांक 02.01.1990 को वादी के पिता श्री दौलतरामजी को पट्टा ग्राम पंचायत उथनोल द्वारा जारी किया गया है अर्थात् यहां पर विवादित पट्टे की जानकारी निगराकार श्री बाबुलाल को वर्ष 2014 से ही है और 08 वर्ष तक निगराकार द्वारा कोई भी निगरानी प्रस्तुत नहीं की गयी। जानकारी होने के बावजूद निगरानी को 08 वर्ष पश्चात पेश किया जाना मयाद अधिनियम की धारा 5 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होकर खारिज योग्य है। किन्तु यहां पर दस्तावेजो का अवलोकन करने पर यह जाहिर हुआ कि इस पट्टे की जानकारी निगराकार श्री बाबुलाल को वर्ष 2014 में ही हो गयी थी। लेकिन इस पट्टे को निरस्त कराने के लिए श्री बाबुलाल द्वारा निगरानी वर्ष 2022 में पेश की गयी अर्थात् 08 वर्ष पश्चात् पेश की गयी है। अतः 08 वर्ष पश्चात पेश किये जाने का क्या आधार है यह निगराकार द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है तथा निगराकार द्वारा मयाद अधिनियम की धारा 5 का एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसमें अंकित किया गया है कि प्रार्थी को फर्जी पट्टे की प्रति सिविल न्यायालय द्वारा दिलायी गयी और इसलिए उसकी निगरानी इतने वर्ष पश्चात पेश की गयी है अतः प्रार्थी के धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना को स्वीकार किया जाकर विलम्ब कंण्डोन किया जाये। यहां पर दो प्रश्न प्रकट होते है यहां विवादित पट्टा दिनांक 02.01.1990 को सरपंच ग्राम पंचायत उथनोल द्वारा जारी किया जाना प्रकट हुआ है। इस पट्टे पर आवंटन अधिकारी सरपंच ग्राम पंचायत उथनोल के ही हस्ताक्षर है तथा

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

आवन्टी के हस्ताक्षर है। इस पट्टे के प्रारूप में ही हस्ताक्षर अध्यक्ष कमेटी तथा नक्शा नवीश व सचिव के हस्ताक्षर आदि अंकित है परन्तु उस पर किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर नही है। सामान्यतः जो पट्टा जारी किया जाता है ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये जाने वाले प्रत्येक पट्टे पर सचिव तथा सरपंच दोनो के ही हस्ताक्षर होते है। उक्त संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा भी यह रिपोर्ट दी गई है कि इस पट्टे की कोई भी पत्रावली रिकॉर्ड में नही मिल रही है।

ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत उथनोल द्वारा यह जो पट्टा जारी किया गया है उसमें विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए जारी किया गया है या नहीं किया गया है वह भी उक्त पट्टे से जाहिर नहीं होता है। साथ ही यदि इस पट्टे को यह मान भी लिया जाए की ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है तो इसकी शर्त संख्या 8 में 2 वर्ष के अन्दर इस पर मकान बनाना होगा लिखा गया हैं, परन्तु पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजो का अध्ययन करने पर यह जाहिर होता है कि विवादित भूखण्ड पर निर्माण श्री गोपीलाल व उसके पिता दौलतरामजी द्वारा आवंटन के 30 वर्षो पश्चात भी नहीं किया गया है। तथा इस पट्टे का पंजीयन भी नहीं करवाया गया। ऐसी स्थिति में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भी अगर अचल संपत्ति के निर्धारित अवधि में पंजीकृत नहीं किया जाता है तो उस पट्टे को कोई विधिक मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार दोनो ही स्थितियों में यहां पर प्रार्थी द्वारा जो निगरानी पेश की गयी है वह मयाद अधिनियम के अनुसार निर्धारित अवधि के कई वर्षो बाद पेश की गयी है परन्तु साथ ही जो पट्टा प्रस्तुत किया गया है जिसकी समीक्षा किये जाने का अधिकार राज्य सरकार द्वारा इस न्यायालय को प्रदान किया गया है उसके समक्ष एक ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत हुआ है जो कि संदिग्ध है तथा जिसमें जो शर्ते लिखी गयी है उसकी पालना नही की गयी है। अतः यहां पर मैं, यह उचित समझता हूँ कि इस पत्रावली को निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत उथनोल को रिमाण्ड किया जाये। पंचायतीराज नियमों, अधिनियमों व निर्देशो के अध्ययधीन परीक्षण कर, इस प्रकरण का निस्तारण करे। यदि ग्राम पंचायत इस पट्टे को नियमानुसार जारी किया जाना पाती है, तो इसकी पुष्टि करे। यदि इसको नियमानुसार जारी होना नही पाती है जो कि यहां सिद्ध हो चुका है कि आवंटन की शर्तो का उल्लघंन हुआ है तथा इसका पंजीयन भी नहीं हुआ है। अतः ग्राम पंचायत इसके स्वामित्व के बारे में निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहेगी। चुंकि इन सभी तथ्यों के आधार पर प्रकरण माननीय सिविल न्यायालय में भी लंबित चल रहा है अतः कोई भी कार्यवाही किये जाने से पूर्व इस न्यायालय के निर्णय को माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा अंतिम कार्यवाही माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय अनुसार ही की जानी चाहिए।

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायालय नाथद्वारा में लंबित प्रकरण के अन्तिम निर्णय के अध्ययधीन रखते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत उथनोल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि वह पंचायतीराज नियमों, अधिनियमों व निर्देशो के अध्ययधीन इस प्रकरण का परीक्षण कर तथा माननीय सिविल न्यायालय नाथद्वारा में लंबित प्रकरण के अन्तिम निर्णय अनुसार कार्यवाही किया सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत उथनोल को भिजवाई जावें।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 23.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)